न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी जिला — धौलपुर

पीठासीन अधिकारी — श्री भगवत शरण स्वामी (आर०ए०एस०)

उनवानी

परवेश खाँ बनाम राज0 सरकार

1. परवेश खाँ पठान उम्र 40 साल पुत्र नन्ने खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला किला बाड़ी तह0 बाड़ी जिला धौलपुर

प्रार्थी —

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

अप्रार्थी —

उपस्थित प्रार्थी के वकील — श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0
उपस्थित अप्रार्थी के वकील — पैरोकार सरकार तहसीलदार बाड़ी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0आर0 एक्ट</u>

प्रकरण सं0 :— 12/2023 दिनांक :— 18-08-2025

आदेश

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 789/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 790/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 791/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 792/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 793/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0 वांके ग्राम छावरीपुरा तहसील बाड़ी में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज है। प्रार्थी अपनी उपर वर्णित आराजी पर मुताबिक अधिपत्य मौके एंव कब्जे अनुसार आराजी खसरा नम्बर 693/614 से सटकर लगे हुये रकवे पर यानि खसरा नम्बर 693/614 के दक्षिण दिशा में लगे हुये रकवे पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी से पहले पूर्व खातेदार भी खसरा नम्बर 693/614 से सटकर ही काश्त करते रहे है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी खसरा नम्बर 693/614 जो वर्तमान में रामवती पत्नि जवानसिंह के नाम खातेदारी है, से सटकर ही काश्त कर रहा है। अर्सा करीब 15 दिन पूर्व प्रार्थी पटवारी हल्का से अपने खाते व राजस्व नक्शे की नकल लेने गया तो प्रार्थी को पता चला कि जहाँ प्रार्थी का कब्जा काश्त है, वहाँ राजस्व नक्शे में प्रार्थी के उपर वर्णित खसरा नम्बरान की तरमीम नहीं हो रही है। जहाँ प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है, वहाँ प्रार्थी के उपर वर्णित खसरा नम्बरान की गलत तरमीम राजस्व कर्मचारिये द्वारा कर दी गई तथा पटवारी हल्का ने भी प्रार्थी को राजस्व नक्शा देखकर अवगत कराया कि आपकी राजस्व नक्शे में तरमीम आपके कब्जे काश्त अनुसार ना होकर दूसरी जगह हो रही है। प्रार्थी के उपर वर्णित खसरा नम्बरान की जो गलत तरमीम राजस्व नक्शे में राजस्व कर्मचारिये द्वारा कर दी गई है। मौके पर जहाँ प्रार्थी का उपर वर्णित आराजी के रकवे के सम्बन्ध में कब्जा काश्त है, वहाँ कब्जे अनसार राजस्व नक्शे में प्रार्थी के उपर वर्णित खसरा

फोटोप्रति प्रमाणित
[signature]
रीडर
उप खण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर)

[signature]
उपखण्डाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नम्बरान की तरमीम ना होकर गलत रुप से राजस्व नक्शे में राजस्व कर्मचारियो द्वारा दूसरी जगह तरमीम कर दी गई है। जिसकी जानकारी ना तो पूर्व खातेदारान को हो सकी और ना ही प्रार्थी को हुई। पहले पूर्व खातेदारान खसरा नम्बर 693/614 से सटकर दक्षिण की तरफ काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनके बाद प्रार्थी आज भी मौके पर खसरा नम्बर 693/614 से सटकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खसरा नम्बरान की जो गलत तरमीम राजस्व नक्शे में हो रही है, वहाँ प्रार्थी व पूर्व खातेदारान का कभी कब्जा नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना कब्जे की जॉच किये गलत रुप से राजस्व नक्शे में दूसरी जगह गलत तरमीम कर दी है। जिसे प्रार्थी दुरस्त कराना चाहता है। प्रार्थी को अपनी उपर वर्णित खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शे में कब्जे के विपरीत हो रही गलत तरमीम की जानकारी होने पर प्रार्थी ने तहसीलदार बाडी के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जे अनुसार सही तरमीम राजस्व नक्शे में कराने का निवेदन किया तो तहसीलदार बाडी ने प्रार्थी से कहा कि हमें राजस्व नक्शे तरमीम निरस्त कर तुम्हारे कब्जे अनुसार सही तरमीम करने का अधिकार नहीं है। आप श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय बाडी के यहाँ कार्यवाही करो और राजस्व नक्शे में कब्जे अनुसार तरमीम करने से मना कर दिया। उपरोक्त हालातों में प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपने उपर वर्णित खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शे में तरमीम कब्जे अनुसार करावे तथा पूर्व मे हो रही गलत तरमीम को निरस्त करावे।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि :- प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 789/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 790/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 791/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 792/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0, 793/676 रकवा 0.2529 हैक्टे0 वांके ग्राम छावरीपुरा तहसील बाडी की राजस्व नक्शे में मुताबिक कब्जा मौके अनुसार खसरा नम्बर 793/614 से सटकर यानि खसरा नम्बर 793/614 के दक्षिण दिशा में कराई जावे तथा राजस्व नक्शे में पूर्व में हो रही गलत तरमीम को निरस्त किया जावे।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना में अंकित तथ्य को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि आराजी ख0नं0 676/614 रकवा 1.2645 हैक्टेयर बांके ग्राम छावरी का पुरा का बंटवारा होने के फलस्वरूप उक्त आराजी पांच खसरा नम्बरान के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि आराजी ख0नं0 789/676 रकवा 0.2529, 790/676 रकवा 0.2529, 791/676 रकवा 0.2529, 792/676 रकवा 0.2529 व 793/676 रकवा 0.2529 के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। नक्शा लट्ठा में जिस स्थान पर उक्त आराजीयात की तरमीम हो रही है, उस स्थान पर खातेदार परवेश खां पठान पुत्र नन्नेखां का कब्जा नहीं है। जबकि उक्त आराजीयात का खातेदार परवेश खां पठान आराजी ख0नं0 693/614 व 681/614 से सटा हुआ दक्षिण दिशा में काबिज है, जिसकी तीन ओर से बाउण्ड्री की हुई है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी के अनुसार है। उक्त खसरा नम्बरान की वर्तमान में जिस स्थान पर तरमीम हो रही है, वह स्थान मौके पर खाली है। मौके पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं है।

तत्पश्चात बहस प्रार्थी के वकील प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार बाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य जाहिर हुआ कि प्रार्थी द्वारा जो तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है, वह सही है। सहवन की गलती से राजस्व रिकार्ड के नक्शे में आराजी ख0नं0 789/676 रकवा 0.2529

फोटोप्रति प्रमाणित
उप खण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टे0, 790/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 791/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 792/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 793/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0 की तरमीम वास्तविक कब्जे की आराजी से अलग अंकित हो गयी है। जबकि प्रार्थी का कब्जा वर्तमान नक्शा लट्ठा में अंकित तरमीम से अलग आराजी ख0नं0 693/614 व 681/614 के बगल में दक्षिण दिशा में है। उपरोक्त सभी खसरा नम्बरान मूल ख0नं0 676/614 रकबा 1.2645 हैक्टे0 का बंटवारा होने के फलस्वरूप बने है। एल0आर0एक्ट की धारा 111 व 127 के अनुसार खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी का वास्तविक कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का हकदार होता है तथा धारा 131 के अन्तर्गत खातेदार के खातेदारी की आराजी का राजस्व नक्शा में हुए गलत अंकन को वास्तवित कब्जे के स्थान पर सही कराने का हकदार होता है। उक्त आधार पर प्रार्थीगण राजस्व नक्शे में अपनी खातेदारी की आराजी को शुद्ध कराये जाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 789/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 790/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 791/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 792/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0, 793/676 रकबा 0.2529 हैक्टे0 वांके ग्राम छावरीपुरा तहसील बाडी के राजस्व नक्शे में वर्तमान नक्शा लट्ठा में अंकित तरमीम से अलग आराजी ख0नं0 693/614 व 681/614 के बगल में दक्षिण दिशा दिशा में कब्जे के स्थान पर सही दर्ज-किये जाने के आदेश प्रदान जाते है। उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि दर्ज किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.

फोटोप्रति प्रमाणित
रीडर
उप खण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर)

Scanned with OKEN Scanner